राधे श्याम खेमका एवं एक अन्य आदि

बनाम

बिहार राज्य एवं एक अन्य आदि

26 मार्च, 1993

[डॉ. ए.एस. आनंद एवं एन.पी. सिंह, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482- कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही निरस्त करना - उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करना - समानांतर सुनवाई न करना - कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध उपाय - आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर कोई रोक नहीं।

अपीलकर्ता, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने इक्विटी अंश एवं वरीयता अंश के लिए सार्वजनिक सदस्यता आमंत्रित करते हुए विवरणिका जारी किया। विवरणिका में कहा गया था कि कंपनी के अंश को आधिकारिक कोटेशन के लिए स्कंध विनिमय में सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन किया जा रहा है। यद्यपि स्कंध विनिमय द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी विभिन्न निवेशकों से एकत्रित अंश राशि अपीलकर्ताओं के पास रखी गई एवं अंशधारकों को न तो स्कंध विनिमय द्वारा अस्वीकृति की सूचना दी गई एवं न ही उन्हें अंश राशि वापस की गई। इसके अलावा, यह राशि कंपनी के एक अन्य खाते में स्थानांतरित कर दी गई। औद्योगिक विकास एवं कंपनी मामलों के सचिव ने कंपनी के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों में शिकायत दर्ज कराई।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने जांच शुरू की एवं अपीलकर्ता एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध के लिए अभियोग पत्र दाखिल किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों मामलों के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। उक्त आदेश की वैधता को अपीलकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन दाखिल करके चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने

खारिज कर दिया। अतः ये अपीलें दायर की गईं। यह तर्क दिया गया कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान निवेशकों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह प्रवर्तकों एवं कंपनी के निदेशकों के दुर्व्यवहार पर रोक लगाता है। ऐसे मामलों में उनकी किसी भी चूक के लिए उन्हें दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए मुकदमे में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

अपीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. कई कंपनियों में आधुनिक अंशधारक केवल आपूर्तिकर्ता या पूंजीपति बनकर रह गए हैं। व्यक्तियों की बचत एवं आय का उपयोग ऐसी कंपनियों के पीछे के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। ऐसी कंपनियों के प्रवर्तक कई निवेशकों को ज्ञात भी नहीं होते हैं। कुछ मामलों में बाद में निवेशकों को पता चलता है कि प्रवर्तकों का एकमात्र उद्देश्य एक फर्जी कंपनी बनाना एवं उसे जनता पर थोपना था, जिससे जनता को नुकसान हो एवं वे स्वयं गलत तरीके से लाभ कमा सकें। इस प्रक्रिया में, जनता प्रवर्तकों की दुष्ट योजना का शिकार बन जाती है, जो बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक इरादे के बेईमानी से धन कमाते हैं। [703 डी-जी]

1.2. समय-समय पर कंपनी अधिनियम में अंशधारकों के हितों की रक्षा करने एवं ऐसी कंपनियों के प्रभारी या प्रबंधन में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के लिए नियामक एवं दंडात्मक प्रावधान प्रदान करने के लिए संशोधन किए गए हैं। ऐसी कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति कंपनी की कानूनी इकाई एवं कंपनी के व्यक्तित्व का उपयोग दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए अभियोजन से बचने के लिए ढाल के रूप में नहीं कर सकते हैं, यदि यह स्थापित हो जाता है कि कंपनी के निगमन एवं अस्तित्व का प्राथमिक उद्देश्य जनता को धोखा देना है। [703 जी-एच; 704 ए-बी]

2.1. पंजीकरण, विवरणिका जारी करने, निवेशकों से धन संग्रह करने एवं अंशधारकों से एकत्रित धन के दुरुपयोग से संबंधित कथित अपराधों का संज्ञान लेते समय, जो दंड संहिता के अंतर्गत एक या दूसरे अपराध का गठन करते हैं, न्यायालय को यह संतुष्ट होना

चाहिए कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर *प्रथम दृष्टया* दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का खुलासा हुआ है। [704 सी]

2.2. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि अपीलकर्ताओं ने, प्रवर्तक या निदेशक के रूप में, आवेदकों से अंश एवं ऋणपत्रों के लिए धन एकत्र करते समय शुरू से ही बेईमानी का इरादा रखा था, या ऐसे धन को एकत्र करने के बाद उन्होंने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया। [704 जी]

2.3. अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लंबित अभियोग को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि अंश आवेदकों के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेना संभव था। [705 डी]

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे अभियोजन को रद्द कर दे जो प्रक्रिया या न्यायालय का दुरुपयोग हो। लेकिन उच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग केवल जांच या पूछताछ के दौरान एकत्र किए गए बयानों एवं दस्तावेजों के आधार पर समानांतर सुनवाई करने के लिए नहीं कर सकता, ताकि यह राय व्यक्त की जा सके कि क्या संबंधित आरोपी को सुनवाई जारी रखने की अनुमति दिए जाने पर दंडित किया जाएगा। [705 जी-एच]

4. विचारण न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ताओं ने कंपनी के अंश के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विवरणिका बेईमानी से जारी किया था या आवेदकों से धन प्राप्त करने के बाद उसे बेईमानी से अपने पास रखा था या उसका दुरुपयोग किया था। यह कार्य न तो उच्च न्यायालय द्वारा एवं न ही इस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। [705 ई-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: वर्ष 1985 की आपराधिक अपील संख्याएँ 375 एवं 376।

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक विविध संख्या 1931/83 एवं 9240, 1982 में दिनांक 17.5.1983 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से - एस.एन. मिश्रा, मनीष मिश्रा एवं पी.सी. कपूर।

उत्तरदाताओं की ओर से - श्रीमती के. अमरेश्वरी, सी.वी.एस. राव, ए.डी.एन. राव एवं एस.एन. झा।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति एन.पी. सिंह** द्वारा सुनाया गया

अपीलकर्ता संबंधित तिथि को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मेंसर्स बिहार केबल एंड वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) के निदेशक एवं प्रबंध निदेशक थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों) ने तत्कालीन उप सचिव, औद्योगिक विकास एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की शिकायत के आधार पर अपीलकर्ताओं एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया था कि उपर्युक्त कंपनी के पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होने के बाद, अपीलकर्ताओं ने प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के रूप में 42,000 इक्विटी अंश एवं 3,000 वरीयता अंश के सार्वजनिक सदस्यता के लिए विवरणिका जारी किया। अपीलकर्ताओं ने निवेशकों को सूचित किया कि कंपनी के अंश को आधिकारिक उद्धरण के लिए कलकत्ता स्कंध विनिमय में सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन किया जा रहा है। कंपनी की ओर से किया गया यह आवेदन स्कंध विनिमय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकृति के बावजूद, विभिन्न निवेशकों से एकत्रित अंश राशि अपीलकर्ताओं के पास ही रही एवं किसी भी अंशधारक को न तो सूचित किया गया एवं न ही भुगतान किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि अंश आवेदनों के कारण बैंक में जमा धन को कंपनी के किसी अन्य खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों को दी गई शिकायत में इन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ताओं के कृत्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने अंश आवेदन राशि को अपने लाभ के लिए परिवर्तित करने

का बेईमानी भरा इरादा किया था, एवं इस प्रकार उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं धारा 405 के तहत अपराध किया है।

उपरोक्त शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने अपीलकर्ताओं एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध के लिए अभियोग पत्र दाखिल किया। जब पटना स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों मामलों के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने अपीलकर्ताओं की दोषमुक्त करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया, तो उस आदेश की वैधता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 402 के तहत एक आवेदन दाखिल करके चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करने के बजाय, जो ऐसी स्थितियों को संभालने एवं अंशधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए हैं, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दंड संहिता के तहत आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है। यह बताया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, अंश आवेदकों से प्राप्त सभी धनराशि को खाते में जमा करना अनिवार्य है एवं यदि अंश जारी नहीं किए जाते हैं, तो प्राप्त धनराशि ब्याज सहित वापस करनी होगी। अधिनियम की धारा 73 का भी उल्लेख किया गया था जिसमें यह अनिवार्य है कि अंश या ऋणपत्रों को सार्वजनिक रूप से अभिदान के लिए विवरणिका जारी करके पेश करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक कंपनी को ऐसे जारी करने से पहले एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमयों को आवेदन करना होगा, ताकि पेश किए जाने वाले अंश या ऋणपत्रों को स्कंध विनिमय में लेन-देन करने की अनुमति मिल सके। विवरणिका के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त सभी धनराशि को अनुमति मिलने तक एक अलग बैंक खाते में रखना होगा एवं यदि अनुमति नहीं मिलती है, तो ऐसी धनराशि को निर्धारित समय के भीतर, निर्दिष्ट तरीके से वापस करना होगा एवं यदि इसका पालन करने में चूक होती है, तो कंपनी एवं उसके प्रत्येक अधिकारी पर जुर्माना

लगाया जा सकता है जो 5,000 रुपये तक हो सकता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अधिनियम के प्रावधान निवेशकों का ध्यान रखते हैं एवं कंपनी के प्रवर्तकों एवं निदेशकों के दुर्व्यवहार पर रोक लगाते हैं एवं ऐसे मामलों में उनकी किसी भी चूक के लिए, उन्हें दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।

यह सत्य है कि कंपनी अधिनियम में विवरणिका जारी करने, अंश के लिए आवेदन करने एवं उनके आवंटन से संबंधित प्रावधान हैं एवं अंश या डिबेंचर जारी करने के लिए जनता से एकत्रित धन के दुरुपयोग पर विभिन्न नियंत्रण प्रदान करता है। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि जहाँ व्यक्ति विवरणिका जारी करते हैं एवं जनता से यह आश्वासन देकर धन एकत्रित करते हैं कि वे जनता के लाभ के लिए इस धन का उपयोग करेंगे, लेकिन उनका वास्तविक इरादा जनता से धन एकत्रित करके व्यक्तिगत लाभ कमाने के अलावा कोई एवं व्यवसाय करना नहीं है, तो भी ऐसे व्यक्ति दंड संहिता के प्रावधानों से मुक्त हैं?

मूलतः कंपनी की अवधारणा में व्यक्तियों के एक समूह का समावेश होता था, जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए गठित होता था एवं जिसका कानूनी अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न होता था। समय के साथ, ऐसी कंपनियों में निवेशकों एवं प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों के बीच का अंतर बढ़ता गया। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अधिकांश कंपनियों में, जिनमें कई व्यक्तियों के पास अंशधारक के रूप में संपत्ति का अधिकार है एवं जिनकी पूंजी में उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है, उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनके योगदान का उपयोग कैसे किया जा रहा है।यह कहा जा सकता है कि कई कंपनियों में आधुनिक अंशधारक केवल पूंजी आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए हैं। व्यक्तियों की बचत एवं आय का उपयोग ऐसी कंपनियों के पीछे के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। ऐसी कंपनियों के प्रमोटर कई निवेशकों को भी ज्ञात नहीं होते हैं। यह एक आम अनुभव है कि कुछ मामलों में बाद में निवेशकों को पता चलता है कि प्रवर्तकों का एकमात्र उद्देश्य एक फर्जी कंपनी बनाना एवं उसे जनता पर थोपना था, जिससे जनता को नुकसान हो एवं उनका

अपना गलत लाभ हो। इस प्रक्रिया में जनता प्रवर्तकों के नापाक मंसूबों का शिकार बन जाती है, जो बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक इरादे के बेईमानी से खुद को समृद्ध करते हैं। समय-समय पर अंशधारकों के हितों की रक्षा करने एवं कंपनियों के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के लिए नियामक एवं दंडात्मक प्रावधान प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। लेकिन, यदि कंपनी के प्रवर्तक या प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक गबन या इसी तरह के अपराध करते पाए जाते हैं, तो क्या निवेशक के पास एकमात्र उपाय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एवं उसके अनुसार कार्रवाई करना ही है? ऐसी कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति, कंपनी की कानूनी इकाई एवं निगमित व्यक्तित्व का उपयोग दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए अभियोजन से बचने के लिए ढाल के रूप में नहीं कर सकते, यदि यह स्थापित हो जाता है कि कंपनी के निगमन एवं अस्तित्व का प्राथमिक उद्देश्य जनता को धोखा देना है।

लेकिन, साथ ही, पंजीकरण, विवरणिका जारी करने, निवेशकों से धन संग्रह करने एवं अंशधारकों से एकत्रित धन के दुरुपयोग से संबंधित कथित अपराधों का संज्ञान लेते समय, जो दंड संहिता के अंतर्गत एक या दूसरे अपराध का गठन करते हैं, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध हुआ है। यदि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के चरण में इस प्रश्न की उचित जांच नहीं की जाती है, तो कई मामलों में, कुछ असंतुष्ट अंशधारक प्रवर्तकों, निदेशकों एवं कंपनी के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा शुरू कर सकते हैं एवं ऐसी कंपनी के कामकाज को ठप्प कर सकते हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है कि दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोग हेतु शिकायतकर्ता को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करना होता है, उनके कृत्यों एवं चूकों के संबंध में जो दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के विभिन्न तत्व हैं। यह अनदेखा नहीं किया जा

सकता कि दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों एवं विभिन्न अधिनियमों एवं कानूनों के अंतर्गत दंडनीय कृत्यों एवं चूकों में मूलभूत अंतर है, जो सामाजिक कल्याण संबंधी कानून हैं। उन कृत्यों एवं चूकों के संबंध में आरोप तय करने के लिए, कई मामलों में, मन: स्थिति (अपराधिक इरादा) एक आवश्यक तत्व नहीं है; संबंधित कानून प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों पर वैधानिक प्रावधानों का पालन करने का कर्तव्य लगाता है, एवं उल्लंघन होने पर, ऐसे व्यक्ति दंडनीय हो जाते हैं। लेकिन दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के लिए आरोप तय करने हेतु, मन: स्थिति के अस्तित्व के पारंपरिक नियम का पालन किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर ही अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि अपीलकर्ताओं ने, प्रवर्तकों या निदेशकों के रूप में, आवेदकों से अंश एवं ऋणपत्रों के लिए धन एकत्र करते समय शुरू से ही बेईमानी का इरादा रखा था, या फिर धन एकत्र करने के बाद उन्होंने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया। दंड संहिता के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के तत्व केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य से सिद्ध करना आवश्यक नहीं है; इन्हें किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से भी दर्शाया जा सकता है कि प्रवर्तकों या निदेशकों का इरादा शुरू से ही बेईमानी का था या उन्होंने किसी स्तर पर अपने अनुचित लाभ के लिए ऐसा इरादा विकसित किया एवं निवेशकों को अनुचित हानि पहुंचाई। सभी परिस्थितियाँ एवं इस तरह के आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री जांच एवं पूछताछ के दौरान एकत्र की जानी चाहिए एवं अंततः न्यायालय के समक्ष मुकदमे के चरण में पेश की जानी चाहिए ताकि यह फैसला सुनाया जा सके कि अभियोजन पक्ष की ओर से विचाराधीन अपराध के तत्व स्थापित किए गए हैं या नहीं।

भारत सरकार के उप सचिव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों को दी गई शिकायत में विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ताओं का कोई व्यवसाय करने का इरादा नहीं था। कलकत्ता स्कंध विनिमय द्वारा आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बावजूद, उन्होंने बेईमानी से आवेदकों के अंश का पैसा अपने पास रख लिया।

इन आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा जांच की गई और अंततः आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। उस आरोपपत्र के आधार पर संज्ञान लिया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोग को केवल इस आधार पर रद्द करना कि अंश आवेदकों के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेना संभव था, स्वीकार्य नहीं है।

अपीलकर्ताओं द्वारा मामले को पूरी तरह से सुलझाने से पहले ही बंद करने का यह एक व्यर्थ प्रयास है। विचारण न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ताओं ने उपर्युक्त कंपनी के अंश के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विवरणिका बेईमानी से जारी किया था, या आवेदकों से धन प्राप्त करने के बाद उन्होंने बेईमानी से उसे अपने पास रखा या उसका दुरुपयोग किया। यह प्रक्रिया न तो उच्च न्यायालय द्वारा और न ही इस न्यायालय द्वारा की जा सकती है। यदि लगाए गए आरोपों और अभियोगों को उनके मूल रूप में स्वीकार करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता कि दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ है, तो मामला भिन्न होता। इस न्यायालय ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किसी ऐसे अभियोग को निरस्त करने की शक्ति दी गई है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा केवल जांच या पूछताछ के दौरान एकत्र किए गए बयानों और दस्तावेजों के आधार पर समानांतर सुनवाई करने के लिए नहीं किया जा सकता है, इस उद्देश्य से कि यह राय व्यक्त की जा सके कि यदि मुकदमा आगे बढ़ने दिया जाता है तो संबंधित आरोपी को दंडित किए जाने की संभावना है या नहीं।

तदनुसार अपीलें खारिज की जाती हैं। विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार मामले की कार्यवाही करनी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

जी.एन. याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।